57

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 108 निगरानी माल / निगरानी 1355-III/09

R 1355- II/09

आज ... द्वारा ... 3/10/08 को प्रस्तुत

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

१:- देवी सिंह पुत्र गोपाल सिंह मृत वारिस
१:- सोबरन सिंह
२:- सुघर सिंह
३:- रामसिया
४:- छत्र सिंह पुत्रगण देव सिंह
५:- श्रीमती गोपा देवी पत्नी स्व० देवसिंह सभी निवासीगण ग्राम धोनपुरा परगना लहार
२:- सोबरन सिंह
३:- सुघर सिंह
४:- हिम्मत सिंह
५:- बलवीर सिंह पुत्रगण मोहर सिंह,
६:- श्रीमती बताशो देवी पत्नी स्व० मोहर सिंह सभी निवासीगण ग्राम रमपुरा तहसील लहार जिला भिण्ड म०प्र०

---- प्रार्थीगण

बनाम

१:- विजय कुमार २:- अरुण कुमार दोनों पुत्रगण कृष्णा कुमार निवासी मिहोना जिला भिण्ड म०प्र० — प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता आदेश दिनांक 3-7-08 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 24/05-06 अपील विजय कुमार आदि बिरुद्ध देवी सिंह पुत्र गोपाल सिंह मृतक वारिसान आदि।

(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1355/दो/2016 निगरानी जिला भिण्ड

तारीख	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-8-16	यह निगरानी अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 194/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3 जुलाई, 2009 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार लहार के समक्ष संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम रमपुरा की कुल किता 3 कुलरकबा 0.712 हैक्टर भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर उपकृषक होने के आधार पर राजस्व कागजात में नाम किये जाने की प्रार्थना की। नायब तहसीलदार लहार ने प्रकरण कमांक 1/1996-97 अ-46 दर्ज करके सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-10-96 पारित किया तथा आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 58/03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2006 से अपील समयवाहय मानकर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 194/2005-06 अपील में पारित आदेश	

दिनांक 3 जुलाई, 2009 से अपील स्वीकार की गई तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि जब वादग्रस्त भूमि महिला सुमित्रा पत्नि स्वर्गीय लालता प्रसाद ब्राहमण के भूमिस्वामी स्वत्व की रही है और यह महिला संतानहीन रहते हुये मृत हो गई, तब इस महिला के वारिसान को अनावेदक बनाकर प्रकरण में सुनवाई करना चाहिए थी, जो नहीं की गई। पक्षकारों के बीच महिला सुमित्रा की वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व घोषणा का व्यवहार वाद कमांक 76 ए/92 चला है जो आदेश दिनांक 30-1-93 से निरस्त होना अभिलेख से परिलक्षित है तब मृत खातेदार सुमित्रा के अतिरक्त विजय कुमार व अजयकुमार प्रतिवादी है और यह तथ्य आवेदकगण के संज्ञान में रहते हुये भी संहिता की धारा 190/110 का दावा दायर करते समय छिपाते हुये दावा दायर किया है यह तथ्य अभिज्ञान मेंआने पर विद्वान अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 194/2005-06 अपील में पारित आदेश

(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1355/दो/2016 निगरानी जिला भिण्ड

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक के हस्ताक्ष

दिनांक 3 जुलाई, 2009 से हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 194/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3 जुलाई, 2009 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य